भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**लोक सभा**

लिखित प्रश्न सं. †2030

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना**

**†2030. श्रीमती पूनमबेन माडमः**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महामारी के दौरान हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए पर्यटन उद्योग को सहायता देने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यटन और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): भारत सरकार ने महामारी के दौरान हुए नुकसान की प्रतिपुर्ति के लिए पर्यटन उद्योग की सहायता हेतु विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की है। विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को अपनी प्रचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को पुन: शुरू करने में सहायता के लिए मई, 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, ऋण देने वाली संस्थाओं को पात्र उधारकर्ताओं को योजना के तहत उनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है। योजना के तहत नागरिक उड्डयन क्षेत्र सहित आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए विशेष रूप से निर्धारित 50,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त गारंटी कवर सहित स्वीकार्य गारंटी सीमा 4.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, योजना का संचालन करने वाली एजेंसी, ईसीएलजीएस के तहत कुल 203180 गारंटियों की 22015.82 करोड़ रुपए की राशि यात्रा, पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिए जारी की गई है। विवरण नीचे दिया गया है:-

**31.11.2022 तक आतिथ्य और संबंधित उद्यम क्षेत्र पर ईसीएलजीएस डेटा**

| **ईसीएलजीएस - यात्रा और पर्यटन डेटा** | | |
|---|---|---|
| योजना का प्रकार | जारी की गई गारंटियों की संख्या | गारंटीड ऋण राशि (करोड़ रुपये में) |
| ईसीएलजीएस 3.0 | 2943 | 1935.80 |
| ईसीएलजीएस 3.0 एक्सटेंशन | 668 | 393.12 |
| **कुल** | **3611** | **2328.94** |
| | | |
| **ईसीएलजीएस - होटल, रेस्तरां आदि डेटा** | | |
| योजना का प्रकार | जारी की गई गारंटियों की संख्या | गारंटीड ऋण राशि (करोड़ रुपये में) |
| ईसीएलजीएस 3.0 | 3486 | 6197.5 |
| ईसीएलजीएस 3.0 एक्सटेंशन | 1336 | 2468 |
| ईसीएलजीएस 2.0 | 219 | 3437.11 |
| ईसीएलजीएस 2.0 एक्सटेंशन | 4 | 34.47 |
| ईसीएलजीएस 1.0 | 96740 | 3674.72 |
| ईसीएलजीएस 1.0 एक्सटेंशन | 97784 | 3875.08 |
| **कुल** | **199569** | **19686.88** |
| | | |
| **कुल योग** | **203180** | **22015.82** |

*******

**अनुबंध**

**आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के संबंध में 19.12.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †2030 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण।**

कोविड के पश्चात् देश के पर्यटन क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत उपाय निम्नानुसार हैं:-

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है । ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अवधि होगी ।
ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है ।
iii. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ ।
iv. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया ।
v. अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन ।
vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।
vii. पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को अपनी प्रचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरूआत मई 2020 में की गई।
viii. 28 जून 2021 को, सरकार ने कोविड -19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने और वृद्धि तथा रोजगार उपायों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिनमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान और यात्रा

तथा पर्यटन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने' और 'वृद्धि तथा रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।

ix. पर्यटन मंत्रालय ने 'कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र हेतु ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)' की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य अपनी देयताओं को पूरा करने और कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यवसाय को दोबारा शुरू करने में संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र की सहायता के लिए उन्हें कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना है । इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटक परिवहन ऑपरेटर 10.00 लाख रुपए तक प्रत्येक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते है और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी के द्वारा तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइडों में से प्रत्येक 1.00 लाख रु. तक का ऋण प्राप्त कर सकते है । यह येाजना पहले से ही 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से प्रचालनरत है । इस योजना की वैधता एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक अथवा इस योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक के लिए बढ़ा दी गई है ।

x. कोविड-19 के बाद के पुनुरूत्थान की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बी एंड बी/होमस्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए और जारी कर दिए हैं ताकि व्यवसाय को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके।

xi. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड - 19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है ।

xii. होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है ।

xiii. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है । विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके ।

xiv. देश में अंतर्गामी पर्यटन को फिर से शुरू करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों से विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा मुफ्त में किये हैं। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा।

xv. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है ।

xvi. गृह मंत्रालय ने 156 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए दिनांक 15 मार्च, 2022 से ई-टूरिस्ट वीजा को बहाल किया है। इसके अलावा, दुनिया भर में बढ़ते हुए टीकाकरण के कवरेज को देखते हुए और हितधारकों के परामर्श से, भारत सरकार ने 27 मार्च, 2022 से भारत के लिए/से अनुसूचित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू किया।

*******